प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

समस्त उप-निबन्धक,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 73 /म0नि0नि0/2011-12 दिनांक : 28 अप्रैल, 2011

विषय : **<u>निबंधन कार्यालयो में विलेखो के निबंधन तथा अन्य विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु निर्धारित समय सारिणी को सूचना पट पर प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

शासन की मंशा के अनुरुप जनसामान्य की सुविधा के लिये प्रतिदिन प्रस्तुत विलेखों के निबंधन की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त उसी दिन पक्षकारों को लौटाने की कार्यवाही हेतु उप-निबंधको का निर्देश निर्गत है। प्राय: निबंधन कार्यालयों में कार्यालय समय के बाद भी विलेखों के पंजीकरण कराए जाने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, ऐसी स्थिति में जब कार्यालय समय के बाद भी निबंधन कार्यालयो में विलेखो का प्रस्तुतीकरण होता रहता हे तो वह निर्धारित समयानुसार विलेख पक्षकारों को वापस प्राप्त नहीं होते है एवं विलेखों की वापसी विलम्ब से होने की शिकायते प्राप्त होती है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासन के निर्देशों के अनुरुप जनसामान्य के विलेखों को लौटाने की कार्यवाही उचित प्रकार से नही हो रही है। उपरोक्त संबंध में निबंधन कार्यालय में विलेखों के प्रस्तुतीकरण/पंजीकरण तथा अन्य मुख्य-मुख्य कार्यो के सम्पादन हेतु निम्नवत् समय सारिणी निर्धारित की जाती है:-

क्रमांक	कार्य का प्रकार	निर्धारित समय
1	विलेखो को निबंधनार्थ प्रस्तुतीकरण किया जाना	प्रत्येक कार्य दिवस में 10.30 बजे से 3.30 बजे तक
2	पूर्वान्ह में प्रस्तुत विलेख को निबंधन के बाद लौटाया जाना	उसी कार्य दिवस में 4.00 बजे से 5.00 बजे तक
3	अपरान्ह में प्रस्तुत विलेख को निबंधन के बाद लौटाया जाना	अगले कार्य दिवस में 4.00 बजे से 5.00 बजे तक
4	हिन्दू विवाह प्रार्थनापत्रो को रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रस्तुतीकरण किया जाना	प्रत्येक कार्य दिवस में 10.30 बजे से 3.30 बजे तक
5	हिन्दू विवाह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना	अगले कार्य दिवस में 4.00 बजे से 5.00 बजे तक
6	मुआयना प्रार्थना पत्र का प्रस्तुतीकरण	प्रत्येक कार्य दिवस में 10.30 बजे से 1.30 बजे तक
7	नकल साधारण के प्रार्थनापत्र का प्रस्तुतीकरण	10.30 बजे से 1.30 बजे तक

..2

8	नकल साधारण का लौटाया जाना	चौथे कार्य दिवस पर सांय 4.00 बजे से 5.00 बजे तक
9	नकल आवश्यक के प्रार्थनापत्र का प्रस्तुतीकरण	10.30 बजे से 2.30 बजे तक
10	नकल आवश्यक का लौटाया जाना	तीसरे कार्य दिवस पर सांय 4.00 बजे से 5.00 बजे तक
11	नकल अति आवश्यक के प्रार्थनापत्र का प्रस्तुतीकरण, यदि रसीद पूर्वान्ह 12.00 बजे से पूर्व जारी हुयी है का लौटाया जाना	रसीद कटने के दिनांक को ही सांय 4.00 बजे से 5.00 बजे तक
12	**नकल अति आवश्यक के प्रार्थनापत्र का प्रस्तुतीकरण, यदि रसीद अपराहन 12.00 बजे के बाद कटती है, का लौटाया जाना**	**अगले कार्य दिवस को सांय 4.00 बजे से 5.00 बजे तक**

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित समय-सारिणी को प्रत्येक निबंधन कार्यालय में सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये तथा उक्तानुसार कार्य सम्पादित करते हुये कार्यालय के कार्य को अद्यावधिक रखा जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीया

(राधा रतूड़ी)
महानिरीक्षक निबन्धन
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक : संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव वित्त, उत्तराखण्ड, शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. अपर महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड।
4. **समस्त जिला-निबन्धक, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त की प्रति समस्त उप-निबन्धकों को प्राप्त कराकर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।**
5. **समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त की प्रति समस्त उप-निबन्धकों को प्राप्त कराकर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।**

महानिरीक्षक निबन्धन
उत्तराखण्ड, देहरादून।